

अध्याय V: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

5.1 उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय

निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया के उल्लंघन तथा मेसर्स आई टी आई को उच्चतर मूल्य में बाह्य स्रोत द्वारा कार्य निष्पादन करने के कारण उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा ₹2.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2006 में उल्लिखित है कि गैर - मालिकाना मदों के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी. एफ. ए.) के अनुमोदन से एकल निविदा प्रणाली को केवल तभी अपनाया चाहिए, जब एक से अधिक अवसरों पर सीमित निविदा के बावजूद एक ही उत्तर प्राप्त हुआ हो।

उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने उच्च निष्पादन संगणन एवं अनुसंधान केंद्र (सी.एच.आई.टी.आर.ए.) परियोजना के अंतर्गत एक 384 नोड लिनक्स क्लस्टर प्रणाली का डिजाइन एवं विकास किया, जिसे 2007 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रेपिड ऑनलाइन नेटवर्क एक्सेस (डी.आर.ओ.एन.ए.) नेटवर्क द्वारा सभी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयोगशालाओं के साथ जोड़ा गया। डी.आर.ओ.एन.ए. नेटवर्क की कम गति सीमा के कारण उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा इस प्रणाली को उन्नत करने का प्रस्ताव दिया गया (मार्च 2010) क्योंकि आंकड़ों को अत्यधिक मात्रा में अंतरित नहीं किया जा सकता था। तदनुसार उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने परम संगणन सुविधा के साथ 300 संगठन नोडों को सम्मिलित करके ₹ 14.50 करोड़ की अनुमानित लागत से विद्यमान (सी.एच.आई.टी.आर.ए.) सुविधा को उन्नत करने का प्रस्ताव दिया (जून 2010)।

विद्यमान प्रणाली (सी.एच.आई.टी.आर.ए.) को मेसर्स आई टी आई लिमिटेड, हैदराबाद (आई.टी.आई) द्वारा 2007 में खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए संस्थापित किया गया था। चूंकि आई टी आई ने विद्यमान प्रणाली का सफलतापूर्वक एकीकरण और रखरखाव किया था, इसलिए उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने बेजोड़ उन्नयन के लिए केवल आई टी आई के द्वारा एकल निविदा के आधार पर उन्नयन का प्रस्ताव दिया।

सितम्बर 2010 में एक निविदा पूछताछ के उत्तर में आई टी आई ने उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग में (सी.एच.आई.टी.आर.ए.) संगणन सुविधा के उन्नयन हेतु ₹ 17.50 करोड़ का मूल्य बताया। तथापि, निविदा क्रय समिति (टी पी सी) ने इन दरों को अधिक माना और बातचीत द्वारा मूल्य को ₹16.38 करोड़ में तय किया।

महानिदेशक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ₹ 16.38 करोड़ के लिए दिसंबर 2010 में वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की तथा उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने ₹ 16.38 करोड़ की लागत में आई टी आई को आपूर्ति आदेश दिया। प्रारंभ में सुपुर्दगी, 17 जून 2011 तक पूरी की जानी थी, जिसे बाद में 17 अक्टूबर 2011 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि फर्म ने सितंबर 2011 से नवंबर 2011 तक प्रणाली की अशंत: आपूर्ति की ।

जनवरी 2012 में हमारी संवीक्षा से पता चला कि आई टी आई ने इस संपूर्ण कार्य को बाह्य स्रोत के माध्यम से किया था तथा ₹14.26 करोड़ की लागत पर मेसर्स रियल टाइम टेक सोल्यूशन, बेंगलूर (आर टी टी एस) को उसी कार्य के लिए आपूर्ति आदेश दे दिया। मेसर्स आर टी टी एस, उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा अनुबंधित निबंधन व शर्तों पर इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर विकास तथा कंप्यूटरों की आपूर्ति के लिए उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग के साथ पंजीकृत था।

जनवरी 2012 में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने आई टी आई को दिए आपूर्ति आदेश को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया कि उनके द्वारा विद्यमान प्रणाली की स्थापना, एकीकरण तथा रखरखाव सफलतापूर्वक किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने कहा कि उपरोक्त कार्यों के लिए बहुविध सुविज्ञता आवश्यक थी, जिसमें उच्चगुणवत्ता वाले सर्वरों का विन्यास, कार्यक्षम शीतलन प्रणालियों का डिजाइन और इष्टतम विद्युत वितरण का डिजाइन सम्मिलित थे और आई टी आई के पास इसके लिए आवश्यक सुविज्ञता थी। इसके अतिरिक्त उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने फरवरी 2013 में कहा कि मेसर्स आई टी आई द्वारा आर टी टी एस को दिए उप संविदा के संबंध में वे अवगत नहीं थे और केवल अप्रैल 2011 में इसके बारे में अवगत हुए थे। तथापि उनका यह कथन वस्तुतः गलत था, क्योंकि आर टी टी एस के प्रतिनिधि समेत आई टी आई के विक्रेता सहयोगियों के प्रतिनिधि दिसंबर 2010 में आई टी आई की ओर से मूल्य वार्तालाप समिति/ निविदा क्रय समिति (पी.एन.सी./टी.पी.सी) की बैठक में भाग लेने के लिए नामांकित थे।

इसके अतिरिक्त हमारी संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि संविदा के निष्पादन में आई टी आई केवल व्यापक पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था और संस्थापन एवं चालूकरण सहित संपूर्ण प्रणाली को आर टी टी एस को बाह्य स्रोत के माध्यम से किया गया था। आई टी आई ने नलसाजी और यांत्रिक कार्य सहित डाटा सेंटर डिजाइन, विद्युत और शीतलन प्रणाली के लिए कार्य के बाह्य स्रोत के माध्यम के द्वारा बिना किसी मूल्यवर्धन के ग्राहक क्रयदेश पर 8 प्रतिशत शुद्ध लाभ ₹1.24 करोड़ तक प्राप्त किया था।

यह मामला दिसम्बर 2012 में मंत्रालय को भेजा गया तथा मंत्रालय ने उत्तर में अक्टूबर 2013 में कहा कि उन्नयन कार्य हेतु आई टी आई के साथ आर टी टी एस की साझेदारी और तृतीय पार्टी से काम कराने की व्यवस्था के संबंध में उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग अवगत नहीं था। यह उत्तर वस्तुतः गलत है, क्योंकि आर टी एस के प्रतिनिधि समेत आई टी आई के विक्रेता सहयोगी मूल्य वार्तालाप समिति/निविदा क्रय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए नामांकित थे।

इस प्रकार इस मामले से पता चला कि उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग अपने विक्रेता बेस में पंजीकृत अन्य विक्रेताओं से खुली निविदाएं मांगने की बजाय एकल निविदा का आश्रय लेने से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ। उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने परिणामस्वरूप उच्चतर मूल्य में आई टी आई को संपूर्ण कार्य का निष्पादन करने दिया, जिसके कारण ₹ 2.12 करोड़ की अतिरिक्त खर्चा हुआ।

5.2 सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर की अवांछनीय अधिप्राप्ति

उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा केन्द्रीय रूप से ₹11.05 करोड़ के सी ए टी आई ए वी 6 सी ए डी/ सी ए एम साफ्टवेयर की 12 लाइसेंस में से दस की अधिप्राप्ति अवांछनीय सिद्ध हुई, क्योंकि उचित साधन-शोध/ आवश्यकता विश्लेषण के अभाव में उक्त साफ्टवेयर मार्च 2011 में इसकी अधिप्राप्ति से लगातार अप्रयुक्त रहा। तीन लाभान्वित प्रयोगशालों द्वारा विभिन्न साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति पर उनकी गतिविधियाँ व्यवस्थित करने हेतु केन्द्रीय साफ्टवेयर की उपलब्धता के बावजूद ₹1.38 करोड़ का व्यय किया गया।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाएँ इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली, नौ सेना प्रणाली, सोनार प्रणाली, रेडार प्रणाली, ऐयर फ्रेम, वायुयान इंजनों, युद्ध वाहनों एवं मिसाइलों के डिज़ाइन आदि में सी ए डी²⁵/ सी ए एम²⁶ की सुविधाओं को बड़े पैमाने पर प्रयोग में ला रहे हैं। डी आर डी ओ मुख्यालय की सलाह पर उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने सितम्बर 2010 में सी ए डी/ सी ए एम साफ्टवेयर के केंद्रीय प्रयोग पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं के विचार जानने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसके उपरांत सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर मैसर्स डससॉल्ट प्रणालियों द्वारा विकसित एक मल्टी प्लैट फार्म सी ए डी/ सी ए एम व्यवसायिक साफ्टवेयर सूट, जो उन्नत प्रणाली सिमुलेशंस को समर्थ बनाता है, साफ्टवेयर के तौर पर प्रयोग हेतु पहचाना गया।

कार्यशाला में, प्रयोग में आने वाली 12 प्रयोगशालाओं जिन्हें साफ्टवेयर का इस्तेमाल करना था, को भी पहचाना गया। उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग को सी एच आई टी आर ए में जोकि एक सुपरकम्प्यूटिंग सुविधा है के अन्तर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नेटवर्क डी. आर. ओ. एन. ए. पर इस साफ्टवेयर पर प्रयोग हेतु सुविधा के लिए साफ्टवेयर का केन्द्रीय रूप में संचालित करने के केंद्रक अभीकरण की तरह कार्य करना था।

उसके बाद फरवरी 2011 में उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा आवश्यकता का पुनः आंकलन किया गया और दस उपयोगकर्ता पहचाने गए थे, जिसमें 6 उपयोगकर्ता जो वास्तविक रूप में और 4 नए उपयोगकर्ताओं को सम्मिलित किया गया। यद्यपि केवल दस उपयोगकर्ताओं को ही पहचाना जा सका, उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर के 12 लाइसेंसों की होस्टिंग सर्वर सहित मैसर्स डससॉल्ट सिस्टमस पर एकल निविदा आधार पर अधिप्राप्ति हेतु प्रस्तावित किया।

25 मार्च 2011 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मुख्यालय से वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग ने 12 उपयोगकर्ता के साथ सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर की आपूर्ति हेतु उसी दिनांक को मैसर्स डससॉल्ट प्रणाली प्राइवेट लिमिटेड को संस्थापन और मंजूरी की दिनांक से तीन वर्षों की वारंटी के साथ ₹11.05 करोड़ की लागत से आपूर्ति आदेश दिया। 30 मार्च 2011 को साफ्टवेयर का संस्थापन, निरीक्षण और स्वीकरण हुआ।

लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2012) से यह उजागर हुआ कि सी ए डी/ सी ए एम साफ्टवेयर की विभिन्न उपयोगकर्ता प्रयोगशालाओं में वर्तमान उपलब्धता और विशिष्ट अतिरिक्त प्रकार्यों के आधार जैसा कि विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर की प्राप्ति से अपेक्षित थे, बिना किसी उचित व्यवहारिकता अध्ययन/ आवश्यक विश्लेषण के अधिप्राप्ति की

²⁵ कम्प्यूटर एडिड डिजाईन।

²⁶ कम्प्यूटर एडिड मैनुफैक्चरिंग।

गई। उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा प्रक्रमणित सी ए टी आई ए साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति हेतु मामले का विवरण साफ्टवेयर में उपलब्ध विभिन्न विस्तृत रूपों की आम धारणा पर आधारित था, नाकि प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा वर्णित विशिष्ट आवश्यकता पर। आगे ऐसा कुछ भी ज्ञातय प्रमाण नहीं था, जो यह संकेत करे कि अन्य कौनसे सी ए डी/सी ए एम साफ्टवेयर उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग द्वारा विशिष्ट कार्यपरिमाण पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की आवश्यकता हेतु सी ए टी आई ए वी 6 को सी ए डी/सी ए एम टूल के रूप में चुने जाने से पहले विचार किए गए।

हमने यह भी पाया (जनवरी 2012) की यद्यपि उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने अपने आप ही मार्च 2011 में साफ्टवेयर लाइसेंस संस्थापति किये थे, साफ्टवेयर आठ प्रयोगशालाओं में से छः में अनभ्यस्त रहा। उत्तर में उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने कहा (जुलाई 2012) कि अप्रैल 2011 के दौरान साफ्टवेयर को डी. आर. ओ. एन. ए. को उपलब्ध कराया गया और आठ उपयोगकर्ता जिनके 12 लाइसेंस प्रयोग करने की उम्मीद थी, को डी. आर. ओ. एन. ए. पर साफ्टवेयर की उपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया गया था। जबकि तथ्य के आधार पर उत्तर सही नहीं है क्योंकि उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान एवं विश्लेषण वर्ग ने सी ए टी आई ए वी 6 की उपलब्धता के बारे में उपयोगकर्ता प्रयोगशालाओं को लेखापरीक्षा (अप्रैल 2012 से मार्च 2013) में यह बताया कि साफ्टवेयर की या तो कोई आवश्यकता नहीं थी या बाद में आने वाले समय में होती। हमने यह भी अवलोकन किया कि तीन प्रयोगशालाएँ आर एण्ड डी (ई), आर सी आई और ए एस एल ने अगस्त 2011 और मई 2012 के बीच ₹1.38 करोड़ की लागत के भिन्न साफ्टवेयर जैसे कि आटो सी ए डी मैक्नाईड 2011 साफ्टवेयर, सॉलेड वर्क्स 2011 प्रोफेशनल साफ्टवेयर और सी ए टी आई ए हाईब्रिड डिजाइन-2 साफ्टवेयर की खरीद की। यानि की सी ए टी आई ए वी 6 की डी. आर. ओ. एन. ए. पर उपलब्धता के उपरांत।

मामला मंत्रालय को जून 2013 में सौंपा गया था; उनका उत्तर अक्टूबर 2013 को प्राप्त हो गया था। रक्षा मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि सी ए टी आई ए वी 6 साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की पहल का एक हिस्सा बताया ताकि किसी भी प्रयोगशाला द्वारा डी. आर. ओ. एन. ए. पर सामान्य रूप से प्रयोग आने वाले साफ्टवेयर मौड्यूल की पहुँच बने और इसकी मंशा एक 'स्थिर सेट' बनने की नहीं थी।

यह उत्तर हालांकि तथ्य के आधार पर सही नहीं है, चूँकि लाइसेंस की अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकता विशिष्ट रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा पहचानी गई विशेष प्रयोगशाला की आवश्यकता के संदर्भ में जाँची गई और लाइसेंसों की संख्या की अधिप्राप्ति इसके अनुसार की गई। अतः वी 6 सीएडी/सीएएम का अधिग्रहण बिना किसी व्यवहारिकता/आवश्यकता विश्लेषण के किया गया, चूँकि केवल दो प्रयोगशालाएँ ही इसे प्रयोग में ला रही थी और उपयोगकर्ता प्रयोगशालाओं ने केंद्रीय साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति अपनी गतिविधियों के प्रबंधन हेतु जारी रखी।

अतः उन्नत संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण वर्ग द्वारा सी ए टी आई ए वी 6 सी ए डी/सी ए एम साफ्टवेयर के 12 लाइसेंसों में से 10 को केन्द्रीय रूप से एकल निविदा के आधार पर ₹11.05 करोड़ की लागत पर बिना किसी उचित व्यवहारिकता अध्ययन/आवश्यकता विश्लेषण के बिना अवांछनीय था और दो वर्षों से भी अधिक समय बाद तक, मार्च 2011 में इसकी अधिप्राप्ति से लेकर यह साफ्टवेयर लगातार ही प्रयोग में नहीं रहा था।

5.3 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अधिप्राप्ति में नियमों के उल्लंघन

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए सेना से आदेश की प्रत्याशा में ₹52.58 करोड़ की लागत पर 'नाग' प्रक्षेपास्त्र के उत्पादन के लिए अपेक्षित एक संघटक की अधिप्राप्ति की जिसके फलस्वरूप ₹34.70 करोड़ के सरकारी धन का अवरोधन हुआ।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के क्रय प्रबंधन 2006 में समाविष्ट क्रय के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार क्रयों पर होनेवाला सारा व्यय केवल आवश्यकता पर आधारित होगा तथा प्रत्याशी आवश्यकताओं के लिए जिनका तत्काल उपयोग न हो, पर सरकारी निधियों का व्यय नहीं किया जाएगा।

अगस्त 2005 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने 400 डिटेक्टर डेवर कूलिंग असम्बिल (डी डी सी ए) जो ' नाग ' प्रक्षेपास्त्र के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक है, की अधिप्राप्ति हेतु निधियों की संस्वीकृति के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ़ केस प्रारंभ किया । भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बी डी एल), जो इस मामले में उत्पादन अभिकरण है, में एक उत्पादन पद्धति स्थापित की गई और उत्पादन कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिसंबर 2005 और जून 2006 में किए जाने के लिए निर्धारित उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन पर तथा सामान्य स्टाफ मूल्यांकन की समाप्ति के पश्चात 2012 तक इस प्रक्षेपास्त्र को सेना में अधिष्ठापित किए जाने की योजना थी। सेना परियोजना की एक टीम ने सितम्बर 2005 में संचयन हेतु वाणिज्यिक सौदे के लिए यथाशीघ्र बातचीत करने का सुझाव दिया, किंतु यह भी सूचित किया कि अधिप्राप्ति हेतु अंतिम आदेश देने के लिए उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन तक प्रतीक्षा की जा सकती है।

जून 2006 में सामग्री प्रबंधन निदेशालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बिल्ड -अप²⁷ के अंतर्गत ₹46.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर फ्रांस के मेसर्स सोफ्रादिर से 200 डी डी सी ए की अधिप्राप्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया। इन्हें विकास चरण में प्रक्षेपास्त्रों में प्रयुक्त करने का विचार नहीं था और इसलिए ' नाग ' परियोजना के तहत इनकी अधिप्राप्ति नहीं की गई। 77,80,000 यूरो की लागत पर 200 डी डी सी ए की आपूर्ति हेतु मेसर्स सोफ्रादिर के साथ एक संविदा (जनवरी 2007) की गई। ये भंडार ₹ 52.58 करोड़ की कुल लागत पर जुलाई 2008 एवं जुलाई 2009 के बीच प्राप्त हुए। संविदा की शर्त के अनुसार इन भंडारों की वारंटी सुपुर्दगी की तिथि से 24 महीनों की थी। डी डी सी ए की भंडार/शेल्फ लाइफ लगभग 10 वर्ष थी।

इसके बाद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने जून-अगस्त 2009, जून 2010 और जुलाई- अगस्त 2012 में अनेक उपयोगकर्ता परीक्षण किए। तथापि, उपयोगकर्ता परीक्षणों के दौरान ' नाग ' प्रक्षेपास्त्र वाहन के निष्पादन में समस्याएँ आने के कारण उत्पाद का सफल परीक्षण अभी तक नहीं किया गया (जून 2013) । इसके अतिरिक्त देखा गया कि 200 डी डी सी ए में 68 का उपयोग अब तक (अप्रैल 2012) किया गया था, जिसमें से 37 का उपयोग ' नाग ' परियोजना के परीक्षण प्रयोजनों के लिए तथा शेष 31 को अन्य परियोजनाओं के लिए किया गया था।

²⁷ प्रयोगशालाओं/ कार्यशालाओं के लिए वैज्ञानिक उपकरण और सामग्रियों की खरीद एवं उनके रखरखाव हेतु संस्वीकृत व्यय।

हमने देखा (मार्च 2009) कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मानक अधिप्राप्ति चलन के उल्लंघन में तथा उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन एवं गुणवत्ता मूल्यांकन के बाद आपूर्ति आदेश देने की सेना परियोजना टीम की संस्तुति के बावजूद सेना से अंतिम आदेश की प्रत्याशा में उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन के पूर्व 200 डी डी सी ए की अधिप्राप्ति की थी हमने फिर देखा (जून 2013) कि परियोजना जून 2006 की पूरा होने के लक्ष्य से पीछे थी और उपयोग कर्ता परीक्षण पुनः 2014 के ग्रीष्म तक शुरू होने थे। इसके कारण पहले से अधिप्राप्त डी डी सी ए की आधी वारंटी और शेल्फ जीवन समाप्त हो गया।

डी डी सी ए की अधिप्राप्ति पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी के उत्तर में परियोजना निदेशक ('नाग' परियोजना) ने कहा (मार्च 2009) कि प्रारंभिक उत्पादन में होनवाले विलंब से बचने के लिए अधिप्राप्ति प्रारंभ की गई थी क्योंकि डी डी सी ए लंबी लीड वाला और महत्वपूर्ण संघटक है।

यह उत्तर, तथापि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसे कि सेना परियोजना टीम द्वारा संस्तुत किया गया था, सेना द्वारा आदेश देने से पूर्व संचयन हेतु वाणिज्यिक सौदे कि लिए बातचीत शुरू की जा सकती थी, परंतु अधिप्राप्ति नहीं, जो केवल उपयोगकर्ता परीक्षणों के सफल समापन के पश्चात ही की जानी थी।

इस प्रकार, यह मामला प्रकट करता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया के उल्लंघन में तत्काल आवश्यकता का निर्धारण किए बिना ' नाग ' प्रक्षेपास्त्रों के लिए सेना से आदेश की प्रत्याशा में ₹ 52.58 करोड़ की लागत पर 200 डी डी सी ए की अधिप्राप्ति की, जिसके कारण चार वर्षों से अधिक समय तक ₹ 34.70 करोड़ के सरकारी धन का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त सेना ने अभी तक आदेश नहीं दिया है , क्योंकि जून 2013 तक उपयोगकर्ता परीक्षण भी पूरे नहीं किए गए हैं।

यह मामला जून 2013 में मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2013)।